VAN GUJJAR TRIBAL YUVA SANGHTHAN
वन गुज्जर ट्राईबल युवा संगठन

Reg. 459 of 2020

President
MOHD MEERHAMJA (Van Gujjar)
Mob: 9410933108, 9927531392

Camp Office:
Kunow Chour, Post Ganga Bhogpur,
Pauri Garhwal, UK-249306

Office: Gujjar Basti, Geandikhata,
Post Geandikata, Haridwar, UK- 248763

पत्रांक 006,7,8/ Memo

दिनांक 9/4/2021

सेवा में,

श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी महोदय
शिवपुरी रेंज
मुनि की रेती, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
जनपद-टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

09-04-2021
व0 स0

सन्दर्भ – दिनांक 05.04.2021 पत्रांक सं0-731/24-1 (1) श्री गुलाम नबी पुत्र श्री युसूफ (2) श्री वजीर पुत्र श्री युसूफ निवासी-कुशरैला कक्ष सं0-7 (3) श्रीमती रोशन बीबी पत्नी स्व0 श्री माम हुसैन निवासी-कुशरैला कक्ष सं0-9 (4) श्री माम हुसैन पुत्र श्री कादर बख्श निवासी-कुशरैला कक्ष सं0-1 (5) मो0 सफी पुत्र श्री इस्माइल निवासी-कुशरैला कक्ष सं0-6 (6) श्री गुलाम रसूल पुत्र मो0 सफी निवासी-कुशरैला कक्ष सं0-8 (7) श्री गुलाम रसूल पुत्र श्री कादर बख्श निवासी-कुशरैला कक्ष सं0-2 एवं (8) श्री जहूर हुसैन पुत्र स्व0 श्री लाल हुसैन, निवासी-कुशरैला कक्ष सं0-1

Received By
व0 स0
Dt. 9-04-2021

विषय : आपके द्वारा शिवपुरी रेंज के अन्तर्गत निवासर वन गुज्जर परिवारों को एक सप्ताह में वन क्षेत्र खाली करने के नोटिस देने के प्रतिउत्तर बाबत।

महोदय,

आपके द्वारा शिवपुरी रेंज के कुशरैला वन क्षेत्र में निवासरत वन गुज्जरों को नोटिस देकर एक सप्ताह में वन क्षेत्र से बाहर निकलने हेतु कहा गया तथा आपके द्वारा

दिये गये नोटिस में लॉपिंग अथवा चुगान का समय पूरा होना एवं वन गुज्जरों के वन क्षेत्रों में रहने से वनाग्नि की घटना होना दर्शाया गया है जो कि वन गुज्जर ट्राइबल युवा संगठन इस बात का पूर्ण रूप से खण्डन करता है। उत्तराखण्ड प्रदेश के अनेक वन प्रभागों में वन गुज्जर समुदाय आबाद है और आप विदित हैं कि समुदाय के रहने का छप्पर घास/लकड़ी का होता है। वन क्षेत्र में आग लगने से अपने आशियाने जलने का डर रहता है। वहीं अपने उपयोग करने वाले वन क्षेत्रों को आग से बचाने का वन गुज्जर समुदाय हर सम्भव प्रयास करता है और आप विभाग भी इस प्रक्रिया को भली-भांति जानते हैं। वन के संरक्षण की नीतियों में भी इसका उल्लेख है। वनाश्रित समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने वाले कानूनों में भी इस बात पर प्रकाश डाला है कि वनवासी लोगों द्वारा वनों के संरक्षण व संवर्द्धन का कार्य प्राचीनकाल से करते आये हैं।

आपसे संगठन आशा करता है कि वन गुज्जर समुदाय से जंगलों में आग की वृद्धि होती है, जैसे बयानों व कथनों का प्रयोग न करें।

इसी क्रम में महोदय संगठन व कुशरैला वन क्षेत्र में रहने वाले वन गुज्जर परिवार आपके द्वारा दिये गये नोटिस के प्रतिउत्तर में वैधानिक रूप से अपना पक्ष रखता है तथा आपके संज्ञान में लाता है कि कानूनी रूप से उक्त परिवारों को इस क्षेत्र में रहने का अधिकार है। आपके द्वारा दिये गये नोटिस जिनका विवरण सन्दर्भ के रूप में दिया है, का प्रतिउत्तर निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर दिया जा रहा है -

1. महोदय देश की संसद द्वारा वर्ष 2006 में अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 पारित किया गया है। इस कानून का विश्लेषण संविधान के अनुच्छेद-21 के व्यापक सन्दर्भ में करना होगा। इस अनुच्छेद के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त हैं (संलग्न)।

इस कानून के तहत अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी के वन क्षेत्र में अधिकारों की मान्यता देने का अधिकार सुनिश्चित है।

2. उत्तराखण्ड राज्य में इस कानून के अन्य परम्परागत वन निवासी की श्रेणी में वन गुज्जर समुदाय आता है जिसकी पुष्टि तत्कालीन अपर सचिव (वन) श्री मनोज चन्द्रन द्वारा प्रेषित प्रमुख वन संरक्षक को दिये पत्र सं0/X-2-2013 (1)/2013 संख्या 217/X-2-2013 दिनांक 12 फरवरी 2013 के पैरा सं0-2 में उल्लेख करते हैं-

"वन गुज्जर उत्तराखण्ड के परम्परागत वन निवासी हैं जिन्हें समय-समय पर चरान-चुगान के अनुज्ञा-पत्र राज्य के विभिन्न प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा निर्गत किये गये हैं। ऐसे अनुज्ञा-पत्रधारी वन गुज्जरों तथा उनके उत्तराखण्ड के वनों में रहने वाले उनके परिवार के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 की धारा-3(1)(डी) के अन्तर्गत उन्हें तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उनके वनाधिकारों के मान्यता का सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाए।"

3. महोदय वनाधिकार कानून-2006 में निहित प्रावधानों के तहत वनवासियों द्वारा उपयोग वाले वन क्षेत्र की स्थिति अध्याय-1 में वर्णित है। आरक्षित वन, संरक्षित वन और संरक्षित ऐसे क्षेत्रों की भूमि है, जैसे-अभ्यरण और राष्ट्रीय उद्यान पर समुदायों की परम्परागत पहुँच थी (संलग्न)।

4. महोदय, वनाधिकार कानून 2006 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत वन निवासियों जिनकी जीविका उपार्जन हेतु वन क्षेत्रों में सामुदायिक अधिकारों के रूप में अध्याय-2 के (घ) में वर्णित अधिकार इस प्रकार है-'ययावरी या चारागाही

समुदायों की उत्पाद चारागाह (स्थापित और घुमक्कड़ दोनों) के उपयोग या उन पर हकदारी और पारम्परिक मौसमी संसाधनों तक पहुँच के अन्य सामुदायिक अधिकार है (संलग्न)।

5. महोदय, शिवपुरी रेंज में निवासरत समस्त वन गुज्जरों के वनाधिकार कानून 2006 में ग्राम वनाधिकार समिति द्वारा दावों की प्रक्रिया गतिमान है (संलग्न)।

6. महोदय, माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में थिंक एक्ट राईज फाउण्डेशन के सचिव श्री अर्जुन कसाना द्वारा जनहित याचिका सं0-140 ऑफ 2019 में दिये गये आदेश अनुसार राज्य सरकार को समिति के गठन उपरान्त वन गुज्जरों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2020 को समिति का गठन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय को 6 बिन्दुओं पर अधिकार आदि देने के लिये कार्य करने को कहा गया जिसके बिन्दु सं0-1 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि गुज्जरों के विरूद्ध की जा रही वैधानिक कार्यवाही जैसे-अतिक्रमण हटाना इत्यादि पर रोक लगाना। इसी क्रम में बिन्दु सं0-3 पर **स्पष्ट रूप से उल्लेख है-वनाधिकार कानून 2006 के तहत उन्हें विधिक अधिकार** देने हेतु कार्यवाही करना। (उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार में विचाराधीन चल रहा है)।

अतएव महोदय आपसे यह भी अनुरोध है कि आपके द्वारा दिया गया उक्त नोटिस उपरोक्त गुज्जर परिवारों के लिये अवैधानिक है। किसी भी वन निवासी को हटाने/बेदखल करने के लिये भारतीय अधिनियम 1927 की धारा-61ए के अन्तर्गत नोटिस दिया जाता है जो प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा दिया जाता है। जिसमें प्रभावित परिवार को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। इसी क्रम में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित थिंक एक्ट राईज फाउण्डेशन द्वारा जनहित याचिका में दिये गये निर्णय दिनांक

03.09.2019 का आदेश संलग्न है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी बनवासी को वन क्षेत्र से हटाने से पूर्व वन अधिनियम 1927 के तहत धारा-61ए का नोटिस देने की बात की गयी है।

अतः आपसे समस्त शिवपुरी रेंज कुशरैला में निवासरत उपरोक्त परिवार एवं वन गुज्जर ट्राईबल युवा संगठन द्वारा इन तथ्यों के साथ आपको अवगत किया जाता है कि आपके द्वारा दिये गये नोटिस जो सन्दर्भ के रूप में वर्णित किये गये हैं को वापस अथवा निरस्त मानते हुए उक्त तथ्यों के तहत हम अपना पक्ष रखते हैं और आशा करते हैं कि कानूनी रूप से हमें हमारे अधिकार सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करें तथा वनाधिकार कानून में निहित वन निवासियों के अधिकारों की मान्यता एवं माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा समय-समय पर दिया गया वन गुज्जरों के सम्बन्ध में निर्णय तथा वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में निवासरत अतिक्रमण को हटाने बाबत नोटिस का विशेष ध्यान रखते हुए कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। शिवपुरी रेंज में निवासरत वन गुज्जर समुदाय को अवैधानिक रूप से बेदखल करना माननीय उच्च न्यायालय के साथ-साथ वनाधिकार कानून की भी अवहेलना होगी तथा जानमाल की क्षति का पूर्ण जिम्मेदार आप विभाग होगा।

दिनांक :

भवदीय

गुलाम नबी

वजीर

श्रीमती रोशन बीबी

माम हुसैन

मो0 सफी

गुलाम रसूल

गुलाम रसूल

जहूर हुसैन

प्रतिलिपि-

1. श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनि की रेती
2. श्रीमान उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग
3. श्रीमान बीट अधिकारी, कुशैरला बीट, शिवपुरी रेंज

PRESIDENT
Van Gujjar Tribal
Yuva Sanghthan
Regd 459/2020